

## विचार बिन्दु

पराधीन को जिन्दा कहें, तो मुर्दा कौन है। -हितोपदेश

## भारत का भूतकाल तथा उसका उज्ज्वल भविष्य झूल रहा है, पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की वैधता पर

देश में सबसे अधिक चर्चा का विषय प्लेस ऑफ़ वॉरिप एक्ट 1991 है। इसे इस लेख में धार्मिक स्थल कानून अथवा पूजा स्थल कानून के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। यह कानून सन 1991 में संसद द्वारा पारित किया गया था। उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर स्व० पी.वी. नरसिंह राव थे। इस कानून में यह बदलाया गया है कि दिनांक 15 अगस्त 1947 से पूर्व के जो किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जावेगा। इस कानून के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा चल सकता है, जिसमें तीन साल की जेल व जुर्माना का प्रावधान है। यह कानून जब बना उस समय बाबरी मस्जिद और अयोध्या का प्रकरण चल रहा था। सरकार को और से यह स्पष्ट किया गया था कि इस कानून के प्रावधान उक्त केस (अयोध्या केस) पर लागू नहीं होंगे।

इस अधिनियम के अनुसार देश के धार्मिक स्थलों के धार्मिक चरित्र को बनाये रखने और उसको सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को देश में स्थित धार्मिक स्थलों की स्थिति को बनाये रखा जाना है।

यह अधिनियम किसी भी पूजा स्थल को किसी अन्य धार्मिक सम्प्रदाय के पूजा स्थल में बदलने पर रोक लगाता है तथा भविष्य में भी कोई साम्प्रदायिक विवाद न हो इसे रोका है।

इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो विवाद लोग भूल चुके हैं उसे पुनः जिन्दा न किया जावे और सामाजिक सदभाव बनाये रखा जावे। किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदलने के मद्देनजर सहनशीलता को एक रेखा खींचने का प्रयास है।

यह कानून बहुत महत्व का है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 9 नवम्बर, 2019 के ऐतिहासिक अयोध्या के विवाद में भी किया है। माननीय न्यायालय ने संवैधानिक महत्व को पुष्टि की है। 2019 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा इतिहास ऐसे कृत्यों से भरा हुआ है जिन्हें नैतिक रूप से गलत माना गया है और यह कहा गया है कि समकालीन कानूनी तंत्र को प्राचीन विवादों को निपटाने का साधन नहीं बनाना चाहिये।

कानून जगत में यह कहा जा रहा है सम्भल की दुःख घटना का कारण सर्वेक्षण का आदेश है। यह आदेश बहुत ही तीव्र गति से पारित हुआ है। निचली अदालत केवल सुप्रीम कोर्ट के पूर्ववर्ती सर्वेक्षण के आदेश को नज़र के अनुसार आदेश दिया है। मूल कानून तो यही है कि जब जहां पूजा स्थल अधिनियम के तहत उपस्थान का प्रश्न आता है तो यह धार्मिक चरित्र का हो जाता है और ऐसे सम्पत्ति के विवाद सामान्य रूप से दौबानी केस है जो उक्त कानून में अपवाद है। जानवाणी और मथुरा के इंडाहाह के केस में याचिकायें लम्बित हैं पर फिर भी सर्वेक्षण की अनुमति दी है। जानवाणी मामले में न्यायालय ने कहा है कि मुकदमा हिन्दू देवी देवताओं की पूजा का है मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने का नहीं है। सात प्रावधानों का यह कानून बचा गया है जिसका अर्थ है कि "कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी भी वर्ग या किसी अन्य धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल में नहीं बदलेगा।"

सम्भल की घटना कोर्ट द्वारा सर्वेक्षण के आदेश के कारण हुई थी। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि याचिका दायर होने के कुछ घण्टों के भीतर एक एडवोकेट को कमिश्नर नियुक्त कर दिया और उसे मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दे दिया और यह भी बिना दूसरे पक्ष को सुने बिना। सितिल जज ने 29 नवम्बर 2024 तक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। वादी का कथन है कि यह मामला पूर्ववर्ती मामलों जैसा है।

हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि सम्भल की शाही मस्जिद प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट है। सर्वेक्षण के आदेश के विरुद्ध मुस्लिम पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की और सर्वोच्च न्यायालय को खण्डपीठ ने यह मानते हुये आदेश दिया कि मामला इलाहाबाद न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का है वहां उचित कार्यवाही करें साथ ही यह भी निर्देशन दे दिया कि निचली अदालत में सर्वेक्षण की रिपोर्ट यदि पेश होती है तो उसे सील करव में ले लें, किन्तु केस में आगे कोई कार्यवाही न करें। केस में जनवरी 2025 को पेशी है। सरकार ने हिंसा की घटना पर कमीशन भी जांच के लिये गठित कर दिया है। भारत विविधता का देश है। यहां धार्मिक स्थलों से जुड़े कई विवाद हैं। साम्प्रदायिक विवाद/दंगे न हों इसलिये उक्त अधिनियम पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ। कई याचिकायें पेश हो चुकी हैं, जिनमें यह कहा गया है कि यह एक्ट लोगों की समानता, जीने के अधिकार और व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता के आधार पर पूजा के अधिकार को हनन करता है।

कुछ याचिकाओं में चुनौती इस आधार पर भी है कि यह अधिनियम व्यक्ति के न्यायालय में जाकर निवारण पाने के अधिकार को समाप्त करता है। इस प्रकार पूजा अधिनियम की धारा 2, 3 व 4 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25 को चुनौती दी है। संविधान की मूल संरचना, प्रस्तावना के विरुद्ध होने के आधार पर तथा बक्क बोर्ड एक्ट की धारा 107 में दिये गये मुसलमानों व हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिखों के धार्मिक अधिकारों में भेदभाव व विरोध पैदा करता है। ये याचिकायें अश्वनीकुमार एडवोकेट (पिटिशन नं. 1246/2020), देवकीनन्दन ठाकुर, सुब्रह्मण्यम् स्वामी आदि ने पेश की है। इनकी सुनवाई 12 दिसम्बर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ प्रारम्भ कर रही है।

राम जन्मभूमि का विवाद तय हो चुका है, किन्तु उस पर यह कानून लागू नहीं था। वर्तमान में वाराणसी जानवाणी व मथुरा स्थित श्रीकृष्ण भूमि विवाद चल रहे हैं। उपरोक्त दोनों जगहों के अतिरिक्त दिल्ली का कुतुबमीनार, आगरा की

ताजमहल बदायूँ कोर्ट में नीलकंठ महादेव जामा मस्जिद का विवाद आदि के मामले हैं। आरोप है कि मुगलकाल में धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया जाकर निर्माण कार्य हुआ था जो धार्मिक नैतिकता का नहीं हो सकता।

संभल जिले की जामा मस्जिद से जुड़ा विवाद गाम्भीर विवाद बनकर पैदा हुआ है। कहा गया है कि यहां पहले श्रीहरि हर मंदिर था। मुस्लिम पक्ष कहता है यह उनकी ऐतिहासिक मस्जिद है।

जानवाणी ने हिन्दू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया। जिस पर मुस्लिम पक्ष ने कड़ी आपत्ति उठाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Lower कोर्ट के आदेश को सही माना। विवाद चल रहा है।

20 मई 2022 को शीर्ष न्यायालय ने सुनवाई करते हुये कहा था कि पूजा स्थलों की धार्मिक पहचान का निर्धारण करना पूजा स्थलों कानून द्वारा निर्णय नहीं है। अजमेर में जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है एक स्थानीय न्यायालय ने दरगाह सभित अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भरतिय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस जारी किये हैं। याचिका में दरगाह को मंदिर घोषित करने की मांग की गई।

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये विवाद पूर्व सीजेआई जस्टिस चन्द्रचूड के मौखिक ऑब्जरवेशन के परिणामस्वरूप हुये हैं जैसा उक्त अधिनियम में कहा है। फलस्वरूप कांग्रेस महासचिव जयप्रम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस कार्य समिति को बैठक में पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया है। सन 1991 के कानून को पूर्णता के साथ लागू किया जावे।

जज का मौखिक आबखवेशन निर्णय का भाग नहीं होता अतः वह प्रिसीडेंट (नजीर) नहीं माना जाता है। जैसा ऊपर कहा है कि धार्मिक स्थल की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय शीघ्र सुनवाई करने जा रहा है। यों बाबरी मस्जिद केस में सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक स्थल एक्ट को वैध माना है और सितिल कोर्ट के हस्तक्षेप न करने के प्रावधान को उचित ठहराया है। देश सिक्क्यूलर (धर्म निरपेक्ष) है और धर्म निरपेक्षता संविधान को बेसिक फीचर है। कुछ दिनों पूर्व दिनांक 6 दिसम्बर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्रीमती ने धर्म निरपेक्षता व संविधान विषय पर वार्ता में बाबरी मस्जिद के केस का रेंफ्रेस देते हुये कहा था कि संवैधानिक पीठ के कोर्ट के हस्तक्षेप निषेध को सही माना था और Tolerance (सहनशीलता) को भारतीय संस्कृति व परम्परा की देन को अपनाने की आशा की थी।

यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बर्म स्थल के धार्मिक स्वरूप की पहचान वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर ही करना जा सकती है, इसे नियम मानकर कुछ दावे नीचे की अदालतों में पेश हो रहे हैं जहां विवाद है कि हिन्दू व जैन मन्दिरों को तोड़कर अथवा उनके भगवानवेष पर मस्जिदों का निर्माण किया गया है। फलस्वरूप साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा है। सम्भल में प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के बीच का दंगा इसी बाबत हुआ है। अजमेर शरीफ की प्रसिद्ध दरगाह के बाबत कहा गया है कि वह शिव मंदिर के मलबे पर बनाई गई थी। निचली अदालत में सितिल वाद पेश हो चुका है, नोटिस जारी हो चुके हैं।

ऐसा माना जाता है कि देश में 40 हजार मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनायीं। वर्तमान में यह दिखाई दे रहा है कि शायद देश भर में ऐसे अनेक वाद पेश हो सकते हैं और देश का नातावरण तनावपूर्ण होने वाला है। इस प्रवृत्ति को HydrA Heads बहुविधि बुवाई कहा जाता है तो अनेक फिर वाले राक्षस के समान हैं।

भारत जैसे धर्म प्रधान देश में जहां हिंसक व अहिंसक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं जहां भारत का संविधान यह कहता है कि भारत के नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखेगा, वहां एक धर्म में बकरा ईद पर बकरे की बलि दी जाती है। एक और शाकाहारी है दूसरी और मांसाहारी। वहां शान्ति शायद सरकार स्थापित नहीं कर सकती क्योंकि वह निष्पक्ष नहीं हो सकती, पर देश की सुप्रीम कोर्ट देश में शान्ति के दूत का काम कर सकती है।

प्रश्न है ऐतिहासिक गलतियाँ हुई हैं। मुगलों ने जो प्रारम्भ में देश में अक्रमणकारी बन गये जिन्हें देश के लोगों ने क्रूर आतंकी व लुटेरे, अत्याचारी आदि शब्दों से पुकारा है, उन्होंने धर्मांधता के नशे में भारतीय धर्मावलम्बियों के विशेषकर हिन्दू मंदिरों को तोड़कर अवशेषों पर मस्जिदों का निर्माण किया। इस कार्य को लोग पुरतिहासिक भूल मानते हैं। अतः मंदिर/मस्जिद के विवाद को हल करने का रास्ता आपसी सहमति से निकलना कठिन प्रतीत होता है। अतः सुप्रीम कोर्ट की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। कोर्ट को यह तय करना होगा कि क्या भूतकाल की गलतियों को वर्तमान में ठीक किया जा सकता है अथवा नहीं? हमें सब विवाद भूलकर आगे बढ़ना है।

धार्मिक स्थल कानून यह घोषण करता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन तक जिस धार्मिक स्थल का जैसे मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुल्द्वारा, चर्च, बौद्ध मठ आदि का जो स्वरूप जिस रूप में था वह नहीं बदला जावेगा। इस विषय में को भी कोर्ट दखल नहीं करेगी यानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निषेध किया है। इसका यह अर्थ होगा कि 1991 का कानून एक प्रकार से हमेशा के लिये स्थायी निषेधाज्ञा है। यहां यह भी प्रश्न उठता है कि क्या धार्मिक स्थल कानून जैसे देश में शान्ति स्थापित करने के प्रयोजन से बनाया था, संविधान के अनुसार भी है या नहीं? यदि स्टे लगाना सही है, तो सर्व पर भी रोक लगनी क्योंकि सर्व के कारण देश में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ रहे हैं। यदि यह माना जाता है कि कानून सही नहीं है तो अन्तहीन विवादों में देश फिर जावेगा। जानवाणी प्रबन्ध कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की है और उसमें प्रार्थना की है पूजा स्थल एक्ट को यदि असंवैधानिक मान लिया तो देश में सब जगह विवाद खड़े हो जावेंगे।

आपसी सहमति से सब कुछ किया जा सकता है। पूर्व जस्टिस श्रीमती के विचारों के अनुसार ऊदातीहम की भावना जो हमारी संस्कृति अस्मिता व परम्परा से प्रेरित है, उसके अनुसार समझौता हो सकता है। मुस्लिम समाज को यह स्वीकार करना होगा कि वे मुगल बादशाहों के प्रतिनिधि नहीं हैं, उस समय के हिन्दू व मुसलमान दोनों ही मुगलराज के समय देश के लोग थे, भारतीय थे। आज भी बन्धुत्व की भावना दोनों में जिन्दा है। राम जन्मभूमि के केस की तरह, मस्जिद व मंदिर की अलग-अलग भूमि को विभूत करना होगा और जहां तक सम्भव हो मस्जिद को बचाने का प्रयास हो साथ ही मंदिर का जहां तक सम्भव है पुनः उद्धार किया जावे अथवा यह भी हो कि दोनों में से एक को स्वेच्छा से अन्य सीमा पर शिफ्ट किया जावे। देश के 40 हजार मंदिर मस्जिद के मामलों में से सम्भवतः हिन्दुओं की मांग केवल तीन मंदिरों तक ही सीमित। शेष विवाद आपसी सहभाव से समाप्त माने जावेंगे। विशेष पीठ के समक्ष को मुकदमों की सुनवाई कर रही है ऐसा समझौता हो सकता है। समझौता ऐतिहासिक होगा।

भारत की गंगा जमुनी संस्कृति की जय हो!

-अतिथि समापक,  
पानाचन्द्र जैन  
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

## डॉ. बी. एस. तोमर ग्लोबल नेटवर्क फॉर इनोवेशन (गुनी) की स्ट्रैटेजिक काउन्सिल के उपाध्यक्ष बने

जयपुर। पूरे विश्व में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और बेहतर विकास को बढ़ाने में सहयोग यूनेस्को के प्रतिष्ठित सहयोगी नेटवर्क का हिस्सा, ग्लोबल यूनिवर्सिटी नेटवर्क फॉर इनोवेशन की स्ट्रैटेजिक कौंसिल परिषद में निम्स यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रो. (डॉ.) बलवीर एस. तोमर को उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। इतने बड़े संस्थान में उपाध्यक्ष के पद पर उनको नियुक्ति के रूप में वैश्विक स्तर पर एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। डॉ. तोमर द्वारा लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को विश्वभर में सराहा गया है। उनके अनुभव को देखते हुए ही यह नियुक्ति की गई है। ज्ञात रहे कि पूरे भारतवर्ष से शिक्षा के क्षेत्र में यह पहली नियुक्ति है। यह नियुक्ति न केवल भारत के लिए गर्व का विषय है, बल्कि वैश्विक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और नवाचार के क्षेत्र में भारत की बढ़ती उपस्थिति को भी दर्शाती है।

गुनी, उच्च शिक्षा को समाज के समग्र विकास से जोड़ने के लिए कार्यरत है, जो विश्वभर के विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को एक मंच पर लाकर शिक्षा से संबंधित चुनौतियों का समाधान करता है। इस नई भूमिका में प्रो. तोमर का नेतृत्व भारत के साथ-साथ वैश्विक शैक्षिक परिदृश्य को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। गुनी, ग्लोबल नेटवर्क फॉर इनोवेशन, एक



निम्स यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रो. (डॉ.) बलवीर एस. तोमर

प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो शिक्षा, एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एवं नवाचार को प्रोत्साहित करता है। इस नेटवर्क का उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान ढूँढने के लिए सरकारों, शैक्षिक संस्थानों, उद्योगों और अन्य हितधारकों को एक मंच पर लाना है। स्ट्रैटेजिक कौंसिल, गुनी का एक प्रमुख अंग है, जो नीति निर्माण, दिशा निर्धारण और दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉ. तोमर का इस पद पर चयन यह दर्शाता है कि उनके अनुभव और दृष्टिकोण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है।

डॉ. बी. एस. तोमर: एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व :-डॉ. बी. एस. तोमर का नाम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है।

उन्होंने निम्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के माध्यम से हजारों छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की है। डॉ. तोमर की नेतृत्व क्षमता और उनके द्वारा किए गए अनेक नवाचारों ने निम्स यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई है। उनके प्रयासों के कारण यह संस्थान केवल एक शिक्षा केंद्र नहीं, बल्कि अनुसंधान और नवाचार का गढ़ बन गया है। निम्स यूनिवर्सिटी के नेतृत्वकर्ता के रूप में डॉ. तोमर ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में कई नई पहलें की हैं। उनके प्रयासों के कारण निम्स अस्पताल ने लाखों मरीजों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। इसके साथ ही, निम्स यूनिवर्सिटी ने ऐसे पाठ्यक्रम और शोध कार्यक्रम शुरू किए हैं जो छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए सक्षम बनाते हैं।

- यूनेस्को के प्रतिष्ठित सहयोगी नेटवर्क का हिस्सा है ग्लोबल यूनिवर्सिटी नेटवर्क फॉर इनोवेशन (गुनी)
- निम्स यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रो. (डॉ.) बलवीर एस. तोमर ने भारत सरकार की नयी शिक्षा नीति की जमकर सराहना की
- हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ समिट के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए हैं प्रो. बलबीर सिंह तोमर

भारत की बढ़ती वैश्विक पहचान :-डॉ. तोमर का गुनी की स्ट्रैटेजिक कौंसिल के उपाध्यक्ष पद पर चयन यह दर्शाता है कि भारत न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि नवाचार और वैश्विक सहयोग में भी एक प्रमुख भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है। यह नियुक्ति भारत की शिक्षा नीति 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के उद्देश्यों के साथ भी मेल खाती है, जिसमें नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राथमिकता दी गई है। गुनी के साथ डॉ. तोमर की यह नई भूमिका भारत और अन्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे सकती है। यह संगठन शिक्षा, और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित करता है।

डॉ. तोमर के नेतृत्व में निम्स यूनिवर्सिटी और गुनी मिलकर कई अंतर्राष्ट्रीय शोध परियोजनाओं पर काम करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस का उपयोग, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं सतत विकास लक्ष्यों को पूरा

करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

डॉ. तोमर की इस नई भूमिका के माध्यम से भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान मिलेगी। उनका अनुभव और दृष्टिकोण भारत के नवाचार मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने में मदद करेंगे। यह नियुक्ति भारत के युवाओं को प्रेरित करेगी और उन्हें वैश्विक स्तर पर अपने कौशल और प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

प्रो. (डॉ.) बलवीर एस. तोमर, चेयरमैन, निम्स यूनिवर्सिटी का कहना है कि आज भारत की कहानी पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना रही है। यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जिसे हमें सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के माध्यम से मजबूत करना होगा। उद्योग और सरकार के बीच सहयोग से हम न केवल नए अवसरों का सृजन करेंगे, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे।

## लाडपुरा से भीलवाड़ा एनएच-758 की 60 किमी दो लेन सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त

माण्डलगाढ़, (निर्स)। मांडलगाढ़ लाडपुरा से भीलवाड़ा तक 60 किलोमीटर सड़क मार्ग विगत 8 साल से नेशनल हाइवे 758 घोषित चला आ रहा है, लेकिन मौक़े पर टू लेन सड़क होने के बावजूद वाहनों से नेशनल हाइवे के नियमों से सड़क का वाहनों से टोल वसूला जा रहा है। गत 8 वर्षों में टोल प्लाज़ा पर सड़क निर्माण की लागत से भी अधिक राशि वसूल कर ली गई है। वहीं एनएचआई के अधिकारियों की कथित लापरवाही के चलते रखरखाव के अभाव में सड़क दुर्घशा का शिकार हो रही है। नेशनल हाइवे की यह टू लेन सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त होने से दो साल में सैकड़ों हादसे हो चुके हैं। जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है।

किसान कांग्रेस नेता सुनील लोहार का कहना है कि लाडपुरा से बीगोद तक तो सड़क बजरी, धूल, कंक्रीट और गन्दगी से अटी पड़ी है। सड़क के दोनों किनारों पर बंबूल की झाड़ियाँ सड़क पर लटकती हुई होने के साथ सड़क की जेबरा लानिंग भी मिट चुकी है। त्रिविणी में सड़क किनारे बने टॉयलेट पर ताले लटक रहे हैं, सड़क पर अंग्रेजी बंबूल, झाड़ियाँ, लटकती हुई हैं। बीगोद और होडा के बीच सड़क पर बजरी और भू-भेदा के कारण बगीचे हैं। डिवाइडर पर लगी रोड लाइट बन्द ही रहती है। सड़क



मांडलगाढ़ से भीलवाड़ा एनएच 758 सड़क मार्ग कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है।

पर लगे दिशासूचक और गांव शहर के प्रदर्शन बोर्ड झाड़ियों से अटपे पड़े हैं। सड़क मार्ग के रखरखाव के लिए एनएचआई को कोई पेट्रोलिंग नहीं की जाती है। एनएचआई के लापरवाह अधिकारियों के चलते ये सब गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, जिसका खामियाजा सड़क पर गुजरने वाले वाहनधारी उठा रहे हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता रामेश्वर मूंदड़ा ने बताया कि बीगोद कस्बे में सड़क और नाला निर्माण 8 साल से

अधुरा पड़ा हुआ है। आबादी क्षेत्र की सड़क सीमा में कई अतिक्रमण और पक्के अवैध निर्माण होने से भी हादसे होने लगे हैं। सफाई के अभाव में सड़क पर बजरी धूल और गन्दगी पसरी हुई है। सड़क का निर्माण विगत 8 वर्षों से अधुरा पड़ा हुआ है। सड़क किनारे नाले के ढक्कन कई जगह से क्षतिग्रस्त हो जाने से कई बार मवेशी फँस चुके हैं। लाडपुरा-भीलवाड़ा निर्मित सड़क का निर्माण बीगोद कस्बे में अधुरा होने के बावजूद भी एनएचआई ने पूर्ण

बता दिया और मौक़े पर अधुरे सड़क निर्माण व नाला निर्माण नहीं होने से लोगों के घरों में बारिश का पानी भर जाता है, जिससे कई बार आर्थिक नुकसान भी हुआ है। इस मामले को लेकर तत्कालीन सांसद और जिला प्रशासन ने एनएचआई के अधिकारियों को कई बार अवागत कराया। लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। लाडपुरा, मांडलगाढ़, त्रिविणी, बीगोद के आबादी क्षेत्र में कई जगह पक्के निर्माण बढ़ते जा रहे हैं, जिससे

## मसूदा पालिका में कर्मचारियों की कमी, ग्रामीण परेशान

मसूदा, (निर्स)। मसूदा कस्बे को ग्राम पंचायत से नगर पालिका क्रमोन्नत किए जाने से ग्रामीणों को कस्बे के विकास कार्य में अड़भेद बनी थी कि इससे कस्बे के विकास में नए आयाम स्थापित होंगे, लेकिन कस्बे में नगर पालिका का अधिकारी पदस्थापित कर दिए जाने एवं दो कर्मिकों की प्रतिनियुक्ति पर दो दिन के लिए कस्बे का कार्य करने के लिए लगा दिए जाने के बाद भी इस नगर पालिका के दरवाजे अधिकांश बंद ही मिलते हैं। मसूदा नगर पालिका तो बन गई

लेकिन उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के रोजमर्रा के कार्य जिसमें नल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन लेना, राशन कार्ड से नाम हटाना व जोड़ना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म आधार सहित कई कार्य के लिए ग्रामीण चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का ना तो कोई कार्य हो रहा है और नहीं ग्रामीणों को कोई जानकारी मिल पा रही है जिससे परेशान होकर ग्रामीण यह कहते नजर आए कि इससे


■ मसूदा नगर पालिका तो बन गई, लेकिन उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है

तो ग्राम पंचायत ही ठीक थी जहां आने पर कार्य के संबंध में जानकारी भी मिल जाती थी और कार्य भी हो जाता था। लेकिन अब नगर पालिका बन जाने से ग्रामीणों के कार्य स्थिर हो गए हैं। कस्बेवासियों को ग्राम पंचायत से नगर

पालिका में क्रमोन्नत हो जाने पर कई अपेक्षाएँ थीं कि अब नगर पालिका बन जाने के बाद कस्बे में सफ सफाई बिजली के सहित उचित यातायात व्यवस्था मिल जाएगी, लेकिन ग्राम पंचायत के नगर पालिका में क्रमोन्नत हो जाने एवं अधिशासी अधिकारी के द्वारा अपना पदभार भी गत 13 अक्टूबर को ही ग्रहण कर लेने के बाद भी ग्रामीणों को नगर पालिका बनने के अब तक किसी भी प्रकार का कोई कार्य होता नजर नहीं आ रहा है। उल्टा ग्रामीणों को परेशानियों का सामना

करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में संबंधित अधिशासी अधिकारी रेखा जैसवानी ने बताया कि जन्म-मृत्यु के लिए जयपुर से कोई परेशानी आ रही है जिससे जन्म-मृत्यु का कार्य में विलंब हो रहा है। वहीं नल कनेक्शन के लिए जारी किए जाने वाले अदेय प्रमाण पत्र के संदर्भ में बताया कि पालिका के कनिष्ठ अभियंता द्वारा जोन कार्टिंग का एस्टीमेट बनाकर दिए जाने के बाद ही नल कनेक्शन के लिए अदेय प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

### राशिफल शुक्रवार 13 दिसम्बर, 2024



पंडित अनिल शर्मा

मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2081, भरणी नक्षत्र प्रातः 7:50 तक, शिव योग दिन 11:54 तक, कौलव करण प्रातः 9:04 तक, चन्द्रमा दिन 1:14 से वृष राशि में संचार करेगा।  
ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-मेष, मंगल-कर्क, बुध-वृश्चिक, गुरू-वृष, शुक्र-मकर, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।  
आज रवियोग प्रातः 7:50 से शनिवार प्रातः 5:48 तक है। आज प्रदोष व्रत, कृत्तिका दीपम है।  
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:28 तक, लाभ-अमृत 8:28 से 11:03 तक, शुभ 12:21 से 1:48 तक, चर 4:13 से सूर्यास्त तक।  
राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:11, सूर्यास्त 5:31

**मेष**  
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

**वृष**  
घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। अनावश्यक धन खर्च होगा। दिन के मध्यार्ध परचात मानसिक तनाव और भागदौड़ से राहत मिलेगी।

**मिथुन**  
आर्थिक/वित्तीय और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। दिन के मध्यार्ध परचात अर्गल कार्यों में समय खर्च हो सकता है। अनावश्यक धन खर्च होगा।

**कर्क**  
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। दिन के मध्यार्ध परचात आर्थिक/वित्तीय मामलों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी।

**सिंह**  
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक संदेश प्राप्त होंगे। अटकें हट्टे कार्य बने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिलेगी।

**कन्या**  
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। यात्रा में दुर्घटना का भय है। दिन के मध्यार्ध परचात अटकें हट्टे कार्य बने लगेंगे।

**तुला**  
परिवार में आपसी सहयोग-सकारात्मक संदेश प्राप्त होंगे। अति आवश्यक कार्यों को दिन के मध्यार्ध पूर्व करने का प्रयास करें। दिन के मध्यार्ध परचात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।

**वृश्चिक**  
स्वास्थ्य से संबंधित चिन्ता दूर होगी। अटकें हट्टे कार्य बने लगेंगे। विवादाित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**धनु**  
घर-परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज समय महत्वपूर्ण कार्यों में व्यतीत होगा। अस्त-व्यस्त कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

**मकर**  
घर-परिवार में अतिथियों का आमनन बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी।

**कुंभ**  
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवर्जनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी।

**मीन**  
आर्थिक कार्यों से अटकें हट्टे कार्य बने लगेंगे। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।